

प्रेस नोट दिनांक 22.10.2020

1. दिनांक 21.10.20 को वादी उ0नि0 श्री विवेक कुमार राय थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विकास गुप्ता पुत्र श्रीराम जी गुप्ता नि0 मोहम्मदपुर पोस्ट महोली थाना रौनाही अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 पेटी अवैध पटाखा बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 497/20 धारा 9बी(1)बी विष्फोटक अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 21.10.20 को वादी उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामू मांझी पुत्र राम भवन नि0 रामपुर हलवारा थाना को0अयोध्या अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 754/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 21.10.20 को वादी श्री जोखू पुत्र हौसिला प्रसाद नि0 उत्तरेदू गोसाई का पुरवा थाना इब्राहिमपुर अम्बेडकरनगर द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 45 के 7944 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी को टक्कर मारकर घायल कर देना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 465/20 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 21.10.20 को वादी का0 धनन्जय यादव थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिव कुमार पुत्र दयाराम नि0 पूरे राम हित दूबे अजरौली थाना खण्डासा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 456/20 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 21.10.20 को वादी उ0नि0 श्री जितेन्द्र यादव थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम लखन पुत्र धनीराम नि0 पुराय थाना पटरंगा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 206/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।